7-5-18	पत्रावली आज कैम्प कोर्ट [illegible] में पेश हुई। संबंधित प्रकरण के वादपत्र में राजीनामा हो चुका है अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है प्रा. पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा की कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाती है पत्रावली फैसल शुमार होकर शामिल मिसल हो तथा दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (झुंझुनूं)	[signature] 21-5-18	